7.7.2020 आज यह पत्रावली वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। वादी स्वयं उपस्थित/ वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर वाद विड्रा करने की अनुमति चाही है। वादी स्वयं वाद विड्रा करना चाहता है, अत: वाद चलने योग्य न रहने पर विड्रा में खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री जगवीरसिंह मेवदा द्वारा की गई। पत्रावली नियमानुसार शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 15:01:51 IST
Reason: SelfAttested